न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 08/2025 बउनवानी शैलेन्द्र सिंह शर्मा **बनाम** लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी निवासी–कैलादेवी कॉलोनी सालोदा मोड गंगापुर सिटी

GCMS No-2025/34

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
27.2.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 18.11.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *गंगापुर सिटी मुख्यालय पर अवैध अतिक्रमण हटाने बाबत दिनांक 18.10.2024 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की 2 बिन्दुओ की सूचना* " उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःआरटीआई/2025/385 दिनांक 27.2.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2024 में चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/आरटीआई/2024/39 दिनांक 09.12.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2024 जरिये पत्रांक/परिवाद/3153–54 दिनांक 12.11.2024 से तहसीलदार गंगापुर सिटी एवं आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी को कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है। पत्र दिनांक 12.11.2024 की प्रति चाहने बाबत अपीलान्ट द्वारा 2/–रू जमा नही करवाने के कारण उक्त पत्र की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.11.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2024 पर की गयी कार्यवाही) के संबंध में तहसीलदार गंगापुर सिटी एवं आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी को लिखे गये पत्र की प्रति के लिए अपीलान्ट अपीलान्ट 2/–रू शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है तथा शेष आगे की सूचना अपीलान्ट संबंधित विभाग तहसीलदार गंगापुर सिटी एवं नगर परिषद गंगापुर सिटी के कार्यालय से अपने स्तर से प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:06:40 IST
Reason: SelfAttested